सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.1/अभि./जांच/नागौर/निल./2022/99 जयपुर दिनांक– 20.01.2022

–: आदेश :–

श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज विभाग, श्री अनिल कुमार गुप्ता तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद नागौर, श्री राजेन्द्र आत्रेय तत्कालीन सहायक अभियन्ता पंचायत समिति मौलासर जिला नागौर एवं श्रीमती नंदा देवी कुमावत तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता पंचायत समिति मौलासर जिला नागौर के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये को तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित किया जाता है। निलम्बनकाल में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का मुख्यालय आदेश की प्रतिलिपि में वर्णनानुसार होगा।

उक्त अधिकारियों को निलम्बन अवधि में उनके अवकाश वेतन के बराबर उस सीमा तक यदि वे अर्द्धवेतन अवकाश पर रहते के बराबर निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते देय होंगे।

(पी.सी. किशन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को उनके परिपत्र दिनांक 31.7.2018 के क्रम में पुष्टि हेतु प्रेषित है।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, जल संसाधन विभाग को उक्त आदेश श्री गुप्ता को तामील करवाने एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि एवं पंचायती राज (कृषि) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर को उक्त आदेश श्री गुप्ता को तामील करवाने एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
9. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग।
10. जिला कलक्टर, नागौर/भरतपुर/अजमेर/बांसवाडा/जयपुर।
11. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, नागौर/भरतपुर/अजमेर/बांसवाडा/जयपुर।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति सांभर जिला जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश श्रीमती कुमावत को तामील करवाकर तामीली सूचना अविलम्ब इस विभाग को प्रेषित करावें।
13. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला परिषद भरतपुर में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करेगें तथा बिना अनुमति मुख्यालय नही छोडेगें।
15. श्री अनिल कुमार गुप्ता, तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता हाल अधीक्षण अभियन्ता निर्माण वृत्त माही परियोजना बांसवाडा जिला परिषद बांसवाडा में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करेगें तथा बिना अनुमति मुख्यालय नही छोडेगें।
16. श्री राजेन्द्र आत्रेय, सहायक अभियन्ता पंचायत समिति भिनाय(जलग्रहण) जिला अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला परिषद अजमेर में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करेगें तथा बिना अनुमति मुख्यालय नही छोडेगें।
17. श्रीमती नंदा देवी कुमावत, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता हाल सहायक अभियन्ता (पातेय वेतन) पंचायत समिति सांभर जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला परिषद जयपुर में इस प्रयोजनार्थ रखी गयी उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति अंकित करेगें तथा बिना अनुमति मुख्यालय नही छोडेगें।
18. निजी/आरक्षित पत्रावली।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)